223.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

निग – 3147 – II-16

दिलीप कुमार सीरवानी तनय स्व. दयाराम सिन्धी, निवासी बैजू धर्मशाला के पास रीवा, जिला–रीवा म.प्र...निगराकार

बनाम

01. कु. ईश्वरी अक्षरा पुत्री स्व. मुरलीधर अक्षरा
02. कु. सुनीता अक्षरा पुत्री स्व. मुरलीधर अक्षरा, दोनों निवासी अस्पताल रोड सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र.
03. गोपीचन्द सीरवानी तनय स्व. किशनचंद सीरवानी,
04. संजय सीरजवानी तनय स्व. किशनचंद सीरवानी
05. श्रीमती निशा बेवा पत्नी स्व. सुनील कुमार सीरवानी
06. चिंकी उर्फ नम्रता पुत्री स्व. सुनील कुमार सीरवानी
07. डिंकी उर्फ श्वेता पुत्री स्व. सुनील कुमार सीरवानी जरिए नाबालिग बली सरपरस्त मां निशा सीरवानी, निवासी कंवरराम टाकीज के पास सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र..गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.

विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सतना के रा.अ.क्र. 72/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

संक्षिप्त तथ्य

सतना स्थित नजूल सीट क्र.52डी, भूखण्ड क्र.–11/1 रकवा 21300 वर्गफिट की स्थाई लीज उभयपक्षों के पूर्वज होलाराम के नाम थी, जिसे

क्रमशः..........2

<u>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3147-तीन/16 जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
21-09-16	प्रकरण पेश, प्रकरण में मुख्य रूप से राजस्व मण्डल ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 1160-III/2011 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2012 जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा W.P.NO. 19332 में पारित आदेश दिनांक 27/01/2014 हो जाने पर आदेश के पालन में नजूल अधिकारी सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 अ 74/15-16 द्वारा दुरस्तगी आदेश दिनांक 05-08-16 को पारित किया जाकर रिकार्ड प्रस्तुत होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय कले० सतना के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की आवेदक द्वारा कैविएट प्रस्तुत की कैविएट में अपील की प्रचलन शीलता के संबंध में उठाये गये विधिक विन्दु के संबंध में विचार किये बिना सहायता के दर्ज हो चुकी प्रविष्टि को दिनांक 23-08-16 के पूर्व की स्थिति दर्ज किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 31-08-16 को पारित किया जिसे चुनौती दी गयी है । प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 18-09-12 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-01-14 के आधार पर नजूल अधिकारी सतना द्वारा आदेश दिनांक 05-08-16 को पारित कर रिकार्ड दुरस्त कराया गया । जिसके संबंध में निगरानी कर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में	

निग. 3147/तीन/2016

कैविएट आवेदन प्रस्तुत कर अपील की प्रचलन शीलता के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत किये । जैसा की अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका से स्पष्ट है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक सुनवाई किये विना जो आदेश 31-08-16 को पारित किया गया है पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कले० सतना का आदेश दिनांक 31-08-16 निरस्त किया जाता है। प्रकरण में 31-08-16 के पूर्व की प्रविष्टि अंकित करा कर प्रकरणमें निगरानी कर्ता द्वारा अपील की ग्राहयता के संबंध में प्रस्तुत कैविएट में सुनवाई किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

सदस्य